

कार्यालय आदेश

**विषय: लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा, फरवरी 2021 ।**

लेखापरीक्षकों की विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक **23.02.2021, 24.02.2021 एवं 25.02.2021 (तीन दिन)** को किया जाएगा । निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारी उपरोक्त परीक्षा में बैठने के पात्र हैं :-

1. वे सभी नए पदोन्नत लेखापरीक्षक जिन्होंने दिनांक 01.02.2021 को 90 दिन की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं ।
2. वे सभी सीधी भर्ती वाले लेखापरीक्षक जिन्होंने दिनांक 01.02.2021 को 01 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है ।
3. वे सभी लेखापरीक्षक, जिनकी सेवाएँ दिनांक 01.02.2021 को 01 वर्ष पूर्ण होने में 02 माह की अवधि शेष है, यदि वे चाहें तो इस परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनको 02 माह की छूट हेतु अलग से आवेदन देना होगा ।
4. वे सभी लेखापरीक्षक जो पिछले अवसरों में लेखापरीक्षक की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं ।
5. वे पदावत लिपिक जिन्होंने लेखापरीक्षक के पद से पदावतति के 02 वर्ष के अन्दर 03 अवसरों का लाभ नहीं उठाया है ।
6. वे सभी स्नातक बहू कार्य कर्मचारी या स्नातक लिपिक जिन्होंने दिनांक 01.02.2021 को 03 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर ली है ।
7. स्नातक लिपिक/बहू कार्य कर्मचारी जिनकी 03 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण होने में अभी 02 माह का समय शेष है, वह भी दो माह की छूट प्राप्ति हेतु अनुरोध के साथ आवेदन कर सकता है ।

पात्र कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में ही अपना आवेदन संबन्धित कार्यालय के स्थापना अनुभाग से सत्यापन के उपरांत **दिनांक 25.01.2021** तक प्रशिक्षण एवं परीक्षा अनुभाग में अवश्य प्रस्तुत कर दें । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

**नोट:** पात्र कर्मचारी आवेदन पत्र स्थापना अनुभाग से सत्यापित कराकर [shekhark.del.au@cag.gov.in](mailto:shekhark.del.au@cag.gov.in) पर भी ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं ।

-हस्ता/

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशि. एवं परीक्षा)**

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:**

1. व. प्रशासनिक अधिकारी (बिल व स्थापना), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
2. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास), नई दिल्ली ।
3. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास), नई दिल्ली
4. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली ।
5. सचिव, प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा (दिल्ली), नई दिल्ली ।
6. कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास), नई दिल्ली के समस्त अनुभाग ।
7. व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय आदेश को अपने कार्यालय के समस्त अनुभागों में परिचालित करें ।
8. व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय आदेश को अपने कार्यालय के समस्त अनुभागों में परिचालित करें ।
9. व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा (दिल्ली), नई दिल्ली इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय आदेश को अपने कार्यालय के समस्त अनुभागों में परिचालित करें ।
10. लेखापरीक्षा अधिकारी (डाटा एनालायटिक विंग) - वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
11. समस्त सूचना पट्ट ।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशिक्षण एवं परीक्षा)

लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा फरवरी, 2021 हेतु आवेदन - पत्र

- 1.(क) नाम .....
- (ख) कर्मचारी कोड सं. ....
2. (क) अनुभाग .....
- (ख) कार्यालय का नाम .....
- (का.म.नि.ले.प.(गृह,शि.एवं कौ.वि.)/का.म.नि.ले.प.(के.प्राप्ति)/का.प्र.म.ले.(ले.प.)) .....
3. अनुसूचित जाति/जनजाति .....
4. शैक्षणिक योग्यता .....
5. नियुक्ति की तिथि .....
- (क) स्नातक बहु कार्य कर्मचारी .....
- (ख) लिपिक पद पर स्नातक .....
- (ग) पदोन्नत लेखापरीक्षक .....
- (घ) सीधे नियुक्त लेखापरीक्षक .....
6. पूर्व में उपयोग किए अवसर (विवरण सहित) .....
- 1..... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. जिन विषयों में छूट पाई:- (क) .....
- (ख) .....
8. परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी .....
9. अनुभागीय दूरभाष सं./मोबाइल सं. ....

हस्ताक्षर परीक्षार्थी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संबंधित अनुभाग)

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... की नियुक्ति दिनांक .....

..... को निम्न वर्ग में हुई।

(क) स्नातक बहु कार्य कर्मचारी ..... (ख) स्नातक लिपिक .....

(ग) पदोन्नत लेखापरीक्षक ..... (ग) सीधे आए लेखापरीक्षक.....

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (स्थापना)

परीक्षा अनुभाग को अग्रेषित

नोट: आवेदन पत्र को स्पष्ट एवं साफ तथा सुन्दर ढंग से भरें। अस्पष्ट व कांट-छांट वाला कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।